Date: 18.05.2023	**Publication:** Dainik Jagran
Page no: 11	**Edition:** New Delhi
Headline : Action against insurance fraudsters	

बीमा में धोखाधड़ी करने वालों की पौ बारह

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

पिछले दिनों बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस ने एक बड़ी एविएशन कंपनी के पायलट के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई है कि उसने अपनी दिव्यांगता से संबंधित फर्जी प्रमाणपत्र जमा कराके दो करोड़ रुपये की बीमा राशि हासिल करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने छह बदमाशों के एक गिरोह को पकड़ा है, जो आठ वर्षों से फर्जी कागजात के जरिये बीमा पालिसियों की धांधली में लगा हुआ था। कुल 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता चला है। बुधवार को सीबीआइ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़े कुछ कर्मचारियों के आठ शहरों में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे समूह मेडिकल बीमा की कवरेज दिलाने से जुड़े हैं।

उक्त तीनों उदाहरण बताते हैं कि बीमा सेक्टर में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी किस हद तक पहुंच गई है। चाहे फसल बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा, मोटर वाहन बीमा हो या सामान्य जीवन बीमा, फर्जीवाड़ा करने वालों की पौ बारह हैं और अभी तक नियामक एजेंसी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) इसको रोकने में बहुत सफल नहीं हो पाई है। फरवरी, 2023 में डिलायट ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि उसके सर्वेक्षण में शामिल 60 प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि भारत में बीमा धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। थर्ड पार्टी के साथ साठगांठ व गलत सूचना देकर बीमा बेचने जैसी पारंपरिक धोखाधड़ी तो बढ़ी ही है, डाटा व डिजिटलीकरण की वजह से भी नई धोखाधड़ी होने लगी है।

बीमा उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि अभी भी कुल प्रीमियम राशि का 10-15 प्रतिशत धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। 2021 में एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि सालाना 45 हजार करोड़ रुपये की चपत धोखाधड़ी की वजह से बीमा कंपनियों को लगी है। बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस के सीएफओ रमणदीप सिंह साहनी का कहना है कि बीमा कंपनियों को वित्तीय हानि हो रही है, तो ग्राहकों को ज्यादा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि सही ग्राहकों से ही फर्जी ग्राहकों से हुई हानि की वसूली की जाती है। सामान्य ग्राहकों को क्लेम लेने में मशक्कत करनी पड़ती है। आइसीआइसीआइ लोंबार्ड के सीएफओ व सीआरओ गोपाल बालाचंद्रन ने दैनिक जागरण को बताया कि बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी एक बड़ी समस्या बन गई है। बीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां जालसाज नहीं घुस गए हों। हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ाकर चिकित्सा की लागत को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में इस तरह के जालसाजों की टीम काम कर रही है। इसी तरह से मोटर थर्ड पार्टी के क्लेम हमारे लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। हमें जानकारी मिली है कि देश के कई हिस्सों में वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह हैं, जो बीमा कंपनियों को चूना लगा रहे हैं। घाटे की भरपाई करने के लिए छोटे व मझोले उद्योगों की तरफ से खुद के दुकान, फैक्ट्री में आगजनी कर दी जाती है और फिर बीमा राशि वसूलने की कोशिश होती है।

अपने नुकसान की भरपाई ग्राहकों से करती हैं बीमा कंपनियां

बीमा धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रविधान नहीं

बीमा कंपनियां इस बात से भी परेशान हैं कि इस समस्या के समाधान की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। असल में भारतीय कानून में बीमा धोखाधड़ी के खिलाफ कोई कानूनी प्रविधान नहीं है। भारतीय कानून में बीमा धोखाधड़ी को लेकर सख्ती बरतने का कोई प्रविधान नहीं है। इरडा ने 2013 में बीमा धोखाधड़ी को तीन वर्गों में विभाजित जरूर किया है, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। पूर्व में कई बार सरकार से बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन की मांग की गई है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। लिहाजा धोखाधड़ी करने वाले आसानी से पुलिस के चंगुल से बच निकलते हैं।